संख्या:30/3546/12-2-2014-बजट.1/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2014

विषय: विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1673/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/14-15 दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तथा शासनादेश संख्या: 2246/12-2-2014-बजट.1/2009 दिनांक 31 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 280000 हजार के सापेक्ष रू0 140000 हजार (रूपये चौदह करोड मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार नियमानुसार व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अधीन जारी किए जा रहे हैं जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या:30/3546(1) /12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखारकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानिक लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या: 30/3546 /12-2-2014-बजट.1/2009 दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 का

<u>संलग्नक</u>

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	प्राविधान(2014-15)	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
02-मजदूरी	5400	2700
04-यात्रा व्यय	1855	927
08-कार्यालय व्यय	1355	677
09-विद्युत देय	2250	1125
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1315	657
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7460	3730
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	3830	1915
27-सब्सिडी	213800	107462
29-अनुरक्षण	2625	750
42-अन्य व्यय	9900	4950
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	22500	11250
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5200	2600
46-कम्प्यूटर हाईवेयर/साफटवेयर का क्रय	1275	639
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1235	618
योग-	28000	140000

(रूपये चौदह करोड मात्र)

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in